राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B.Civil First Appeal No. 429/2018

14.12.2018

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी</u>

अपीलार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री रौनक सिंघवी/
श्री आर एस भारद्वाज/ श्री बलविन्दर सिंह
प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री संजय जोशी
प्रत्यर्थी संख्या 5 के अधिवक्ता श्री संदीप पाठक।

आज यह पत्रावली आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु सूचीबद्ध हुई है। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 5 को छोडकर अन्य प्रत्यर्थीगण की तामील नहीं हुई है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पूर्व शेष प्रत्यर्थीगण को **आदेश 6 नियम 17 सीपीसी** के प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किया जाना उचित समझा जाता है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 4 तथा 6 लगायत 79 के क्रम में **एक सप्ताह** में पी एफ नोटिस पेश करें जो पेश किए जाने पर आगामी **आठ सप्ताह** में वापसी योग्य जारी किए जावें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/25